

जिला पंचायत, बस्ती।
बेबसाइट www.BASTI.NIC.IN
अल्पकालिक निविदा सूचना

जिला पंचायत बस्ती के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्य कराने हेतु मोहरबन्द निविदा दिनांक 3.8.2010 को दिन में 1.0 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, बस्ती में आमंत्रित की जाती है। जिला पंचायत बस्ती के पंजीकृत ठेकेदार, जो टेण्डर देना चाहते हों, वे दिनांक 2.8.2010 को दिन में 5.0 बजे तक फार्म कीपर जिला पंचायत बस्ती से टेण्डर फार्म 2 प्रतिशत अर्नेस्टमनी जमा करके खरीद सकते हैं। मुहरबन्द टेण्डर कार्यालय में रखे टेण्डर बाक्स में दिनांक 3.8.2010 को 1.0 बजे दिन तक डाल सकते हैं। जो उसी दिन 2.0 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष टेण्डर खोला जायेगा। सम्बन्धित कार्यों की जानकारी जनपद बस्ती की बेबसाइट www.BASTI.NIC.IN पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र बेबसाइट से "डाउनलोड" किये जा सकते हैं। अर्नेस्टमनी राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो "अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बस्ती" के पदनाम से बन्धक होगा। जमा किया जा सकता है। ठेकेदारों की अग्रिम श्रेणीवार जमा जमानत पंजीयन की सीमा में ही निविदा प्रपत्र निर्गत किये जायेंगे, जमा धनराशि की सीमा से अतिरिक्त धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की बैधता तीन माह होगी, जिसको निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ 10.00 रूपये के नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर रसीदी टिकट लगाकर उल्लेख कर हस्ताक्षर सहित जमा करना अनिवार्य होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा स्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत, बस्ती में निहित है। विस्तृत विवरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	वि0खं0	स्वी0धन.	टेण्डर मूल्य	धरोहर धनराशि	कार्य अवधि
1/79	ग्रा0 पं0 बूड़ापार में मिनी सचिवालय	गौर	14.00	1400	28000	तीन माह
2/81	ग्रा0 पं0 गौर में मिनी सचिवालय	गौर	14.00	1400	28000	तीन माह
3/82	ग्रा0 पं0 चकचई में मिनी सचिवालय	गौर	14.00	1400	28000	तीन माह
4/83	ग्रा0 पं0 आमा भुईलापार में मिनी सचिवालय	गौर	14.00	1400	28000	तीन माह
5/84	ग्रा0 पं0 रमवापुर में मिनी सचिवालय	गौर	14.00	1400	28000	तीन माह

निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

- 01- डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र तथा सीधे कार्यालय द्वारा कय किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय जिला पंचायत बस्ती के टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे।
- 02- बेबसाइट द्वारा डाउनलोड निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बस्ती के पदनाम से निर्गत होगा अथवा निविदा कय के समय कार्यालय में नगद जमा किया जा सकता है।
- 03- आयकर, व्यापारकर का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्य को करने की आर्थिक क्षमता सम्बन्धी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 04- टेण्डर डालने के पूर्व ठेकेदार स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से अवश्य कर ले।
- 05- जमानत की धनराशि एन0एस0सी0/के0वी0पी0/डाकघर बचत बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में अपर मुख्य अधिकारी

- जिला पंचायत बस्ती के पदनाम से बन्धक कराकर जमा करना होगा
- 06— निविदा पर किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग बिना हस्ताक्षर किये मान्य नहीं होगा।
- 07— सिंगिल टेण्डर किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। जिस पर केवल एक ही टेण्डरदाता द्वारा जमानत जमा होगा, वह भी सिंगिल टेण्डर माना जायेगा।
- 08— निविदा स्वीकार होने के उपरान्त ठेकेदार को अवशेष 8 प्रतिशत जमानत धनराशि तथा कुल 10 प्रतिशत की जमानत धनराशि पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।
- 09— निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी जिला पंचायत बस्ती में निहित होगा।
- 10— अनुसूचित जाति/जनजाति के ठेकेदारों हेतु आरक्षित परियोजनाओं पर सामान्य ठेकेदारों के टेण्डर मान्य नहीं होंगे।

अभियन्ता
जिला पंचायत-बस्ती।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत-बस्ती।

अध्यक्ष,
जिला पंचायत, बस्ती।

कार्यालय जिला पंचायत-बस्ती।

पृ0सं0 /अभि0/जि0पं0ब0/2010-11 दिनांक-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— मा0 अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत बस्ती ।
- 2— जिलाधिकारी, बस्ती।
- 3— पुलिस अधीक्षक, बस्ती।
- 4— मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी-बस्ती।
- 5— अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग/जलनिगम/नलकूप/ग्रा0अभि0 सेवा बस्ती।
- 6— वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत-बस्ती।
- 7— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बस्ती को इस आशय से कि उक्त प्रकाशन अपने स्तर से बेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। (निविदा प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न)
- 8— सम्पादक दैनिक समाचार पत्र स्वतन्त्र भारत बस्ती को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अपने आगामी अंक में कम से कम स्थान में एक बार प्रकाशित कर समाचार पत्र की पाँच प्रतियों एवं आदेश की छायाप्रति के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
- 9— जिला पंचायत बस्ती के फार्म कीपर को निविदा फार्म विक्री हेतु अनुपालनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बस्ती।